



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(17)पंरावि/प्रशा.1/प्र.नि.समाप्त/वि.अ/2010/257 जयपुर, दिनांक 3/2/17

**आदेश**

निम्नलिखित विकास अधिकारियों की उनके नाम के सामने अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के कारण विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर ली गयी सेवायें समाप्त कर इनके पैतृक विभाग को लौटायी जाकर तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम विकास अधिकारी	पदस्थापित पंचायत समिति का नाम	पैतृक विभाग	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्री शफकतुल्ला खां	चौथ का बरवाडा(सवाईमाधोपुर)	सहकारिता	31.8.2017.
2.	श्री रघुवीर सिंह	रामगढ (अलवर)	शिक्षा	31.12.2017

उक्त अधिकारी विकास अधिकारी के पद का कार्यभार विभागीय परिपत्र दिनांक 15.7.2014 के अनुसार पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों के वरीयता क्रम में संभलाकर तत्काल अपनी उपस्थिति पैतृक विभाग में प्रस्तुत करें, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(गिरीश पाराशर)  
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा-1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा, राजस्थान, जयपुर।
9. संभागीय आयुक्त।
10. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
11. रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, जयपुर।
12. जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/अलवर।
13. अतिरिक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर/अलवर।
14. विकास अधिकारी रामगढ/चौथ का बरवाडा।
15. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
16. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
17. आदेश पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा-1)